भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1685
गुरुवार, 5 दिसंबर, 2024/14 अग्रहायण,1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई किराये में कमी

1685. श्री सु. वेंकटेशन:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के संज्ञान में आया है कि डीजीसीए के दिनांक 23.4.2024 के परिपत्र में कहा गया है कि अनबंडल सेवाएं 'ऑप्ट-इन' आधार पर प्रदान की जानी चाहिए न कि 'ऑप्ट-आउट' आधार पर और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सभी एयरलाइन कंपनियां उपरोक्त परिपत्र को लागू कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास उपरोक्त परिपत्र के कार्यान्वयन की निगरानी करने और सुधारात्मक उपाय करने के लिए तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या उक्त परिपत्र के परिणामस्वरूप हवाई किराए में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने वर्ष 2024 का वायु यातायात परिपत्र (एटीसी) 01 जारी किया है, जिसका शीर्षक है "अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा सेवाओं और शुल्कों का अनबंडल", जिसके अनुसार अनबंडल सेवाएं "ऑप्ट-इन" आधार पर प्रदान की जाएंगी न कि "ऑप्ट-आउट" आधार पर।

(ख) और (ग): एयरलाइनें परिपत्र का अनुपालन कर रही हैं। डीजीसीए यादृच्छिक आधार पर परिपत्र के अनुपालन की निगरानी करता है।

(घ): इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सेवाओं और उनके प्रभारों को अनबंडल करने से मूल किराया अधिक किफायती हो सकता है और उपभोक्ता को उन सेवाओं के लिए भुगतान करने का विकल्प मिल सकता है, जिनका वह लाभ उठाना चाहता है, डीजीसीए ने उपर्युक्त परिपत्र जारी किया है।

******